संख्या-50/2024/1612/22-2-2023-17(75)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल 2024

विषय:- जिला कारागार, मऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रन्धे पुत्र श्री राम निवास, निवासी जनपद-मऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16-03-2023) दिनांक-13-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रन्धे पुत्र श्री राम निवास, जो ग्राम-मालव, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद-मऊ का निवासी है। अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 27/28.05.2004 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में सोते समय वादी चन्द्रबली प्रसाद के परिवार के सदस्यों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे संगीता, रानी एवं अवधेश नामक 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी एवं 02 व्यक्ति बुरी तरह जल गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-206/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, मऊ के आदेश दिनांक 28.10.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.05.2010 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। दिनांक 10.01.2023 तक बन्दी की आयु 40 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष 07 माह 12 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 27/28.05.2004 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में सोते समय वादी चन्द्रबली प्रसाद के परिवार के सदस्यों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे संगीता, रानी एवं अवधेश नामक 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने एवं 02 व्यक्ति बुरी तरह जलाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रन्धे पुत्र श्री राम निवास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रन्धे (बन्दी संख्या-235/2009) पुत्र श्री राम निवास, निवासी जनपद-मऊ को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-50/2024/1612(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस0 रिट याचिका संख्या-2401/2023 रन्धे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-50/2024/1612/22-2-2023-17(75)/2024

दिनांक 19 अप्रैल 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रन्धे पुत्र श्री राम निवास, जो ग्राम-मालव, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद-मऊ का निवासी है। अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 27/28.05.2004 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में सोते समय वादी चन्द्रबली प्रसाद के परिवार के सदस्यों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे संगीता, रानी एवं अवधेश नामक 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी एवं 02 व्यक्ति बुरी तरह जल गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-206/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, मऊ के आदेश दिनांक 28.10.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.05.2010 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। दिनांक 10.01.2023 तक बन्दी की आयु 40 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष 07 माह 12 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 27/28.05.2004 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में सोते समय वादी चन्द्रबली प्रसाद के परिवार के सदस्यों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे संगीता, रानी एवं अवधेश नामक 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने एवं 02 व्यक्ति बुरी तरह जलाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रन्धे पुत्र श्री राम निवास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।